



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-HRB019/2020-CHA

दिनांक : 11.03.2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.12771 ha of forest land in favour of SDO, Construction Sub Division, HVPNL Kaithal for construction of 132 KV S/C Neemwal-Bhagal line crossing various strips of protected forest land, under Forest Division and District Kaithal, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Trans/41326/2019)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9181/4301 दिनांक 25.02.2020.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.12771 वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव में सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- Correction be made in Area of forest alnd proposed for diversion under column A-1 (viii) in part-I.
- Layout plan uploaded under Additional Information details in part-I online is not matching with plan provided with proposal. Revised/corrected layout plan be uploaded and provided.
- Species wise name and girth wise enumeration of trees in column 4(ii) in part-II is shown as NIL whereas in covering letter it is shown as 54 trees.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

Encl: as above

भवदीय


(एस०डी० शर्मा)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kaithal, Haryana.
- The SDO, Construction Sub Division, HVPNL Kaithal.